राज्यपाल ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर किये हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

20 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (क्र. 19 सन 1956) में संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- इस अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किया गया है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (क्र. 19 सन 1956) की धारा 12-क की उपधारा (2) के परंतुक में, अंक '65' के स्थान पर, अंक '70' प्रतिस्थापित किया जाए। अर्थात् इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष होगी।
- यह अधिनियम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/governor-signs-indira-kala-sangeet-vishwavidyalaya-act-bill